न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 13/2023

1. इंदिरा बेनीवाल पुत्री स्व० श्री राजाराम गोदारा पत्नि श्री सी० एस० बेनीवाल उम्र 62 वर्ष निवासी ई–42 गोकुल वाटिका जवाहर सर्कल, जयपुर 302018

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री जगतपाल सिंह गोदारा पुत्र स्व0 श्री राजाराम गोदारा उम्र 59 वार्ड न0 18, पुराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़, राजस्थान पिनकोड 335501
2. श्री सतपाल सिंह गोदारा पुत्र स्व0 श्री राजाराम गोदारा उम्र 56 वर्ष निवासी वार्ड नं0 18 पुराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ।
3. श्री वेदपाल सिंह गोदारा पुत्र स्व0 श्री राजाराम गोदारा उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड नं0 18 पुराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. श्रीमति सुलोचना देवी पत्नी स्व0 श्री राजाराम गोदारा उम्र 82 वर्ष निवासी वार्ड नं0 18 पुराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार भादरा जिला हनुमानगढ़।

– रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांटा।

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4

निर्णय दिनांकः– 06.03.2024

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) भादरा दिनांक 30.03.2017 उनवानी प्रकरण जगतपाल सिंह आदि बनाम स्टेट प्रकरण संख्या 39/2016 जिसकी रूह से तथाकथित वसीयत दिनांक 06.07.2015 के आधार पर चक 4 बी.एच.डी. व चक 6 बी. एच.डी. की भूमि का नामान्तरण रेस्पो0 1 ता 3 के हक में दर्ज करने के आदेश दिए गये को, निरस्त करने हेतू अपील प्रस्तुत क[illegible]के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:58:10 IST
Reason: SelfAttested

1. रेस्पो0 सं0 1 ता 3 ने विचारण न्यायालय के [illegible]क्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत [illegible]नके पिता श्री राजाराम के दिनांक 10.02.2016 को फौत होने पर चक 4 बी.एच.डी. की खाता संख्या 68/70 के मु0 नं0 45, 46, 50, 51 व 52 के कुल 2.4560 है0 व इसी चक की खाता सं0 67/69 के मु0 नं0 1, 2, 22 के कुल 9.1080 है0 सयुंक्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

खाता में 540 हि0 यानी 6.831 है0 कृषि भूमि एवं चक 6 बी.एच.डी के खाता संख्या 92/84 के मु0 नं0 17, 27 की कुल 4.5540 है0 भूमि। इस प्रकार कुल 13.841 है0 तीनों खातों की भूमि की स्व0 राजाराम गोदारा द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 06.07.2015 को वसीयत कर दी थी। इसलिए जगतपाल सिंह, सतपाल, वेदपाल पि0 राजाराम के नाम मुताबिक वसीयत उक्त भूमि बतौर खातेदारी उनके पिताजी के स्थान पर इन्द्राज करने का अनुतोष चाहा गया, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के द्वारा स्व0 राजाराम के नाम दर्ज भूमि का नामान्तरण मुताबिक वसीयत जगतपाल सिंह, सतपाल, वेदपाल के नाम दर्ज करने के आदेश दिया। जिसकी पालना में इन्तकाल दर्ज किया। जिसे अपीलान्ट बतौर तृतीय पक्ष निम्न आधारों पर चुनौती देती है।

2. विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश प्रसारित करने से पूर्व अपीलान्ट को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया, ना ही रेस्पो0 सं0 1 ता 3 ने ही अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जबकि प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति की आय से अर्जित सम्पति होने के कारण पैतृक सम्पति होने से मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि में हक हिस्सा रखती है परन्तु रेस्पो0 सं0 1 ता 3 ने अपीलान्ट से पोषीदा तौर से स्व0 राजाराम गोदारा की फर्जी वसीयत दिनांकित 06.07.2015 बनाकर उसके आधार पर तहसीलदार (भू0अ0) भादरा के यहां पर आवेदन पर 14.03.2016 को एक पक्षीय प्रस्तुत कर अपीलान्ट को विधिक प्रावधानानुसार नोटिस दिए बिना अपीलाधीन निर्णय कतई एक पक्षीय प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि जिसमें अपीलान्ट का भी 1/5 हिस्सा है, को अपने नाम अभिलेख में दर्ज करवा लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत कर रही है। अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्ट के हित प्रत्यक्षतः प्रभावित हुए है एवं अपीलान्ट को उसके हक हिस्सा की भूमि से महरूम किया गया है। इसलिए अपीलान्ट को बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुती की स्वीकृती प्रदान की जानी न्यायोचित है।

3. स्व0 राजाराम दिनांक 10.02.2016 को अपने निधन से पूर्व अपने ईलाज के लिये दिसम्बर 2015 में व जनवरी 2016 में लम्बे समय तक अपीलान्ट के पास जयपुर में रहे थे तथा अपीलान्ट ने ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा कर उनकी सेवा सुश्रूषा की थी व ईलाज जयपुर के प्रतिष्ठित फोर्टिज व संतोकबा, अस्पतालों में करवाया था। इलाज के दौरान भी रेस्पो0 सं0 1 ता 3 जयपुर में आये थे। सभी के समक्ष स्व0 राजाराम गोदारा ने जो कि स्वयं एक एडवोकेट थे, ने बताया था कि उनके द्वारा सम्पत्ति का वसीयत के द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से कोई अन्तरण नही किया है तथा वो यह भी कहते थे कि उनके सम्पत्ति में सभी वारिस बराबर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:58:10 IST
Reason: SelfAttested

हकदार होगे। यहां तक कि मार्च 2021 में अपीलान्ट के पुत्र अशुंल के विवाह में भी सभी रेस्पो0 2 तथा 3 व 4 अपने परिवार के साथ विवाह में शामिल हुऐ थे तथा भात लेकर आए थे। उस समय भी सभी रिश्तेदारों के समक्ष यह बताया था कि अपीलान्ट के हिस्सा का जयपुर स्थित प्लॉट में उसका हिस्सा सौप दिया है, बाकी भी जल्दी बटवारां कर अभिलेख में दर्ज करवा दिया जायेगा परन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाए एवं बिना तलब किए विचारण न्यायालय ने जो प्रक्रिया अपनाई गई, वह कतई अविधिक है।

4. रेस्पो0 1 ता 3 को अपीलान्ट के जयपुर निवास करने का भली भांती ज्ञान होते हुए भी उनके द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय सम्बन्धित कार्यवाही सम्पादित करवाई उसमें अखबार में शाया नोटिस राजस्थान पत्रिका के श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ संस्करण में प्रकाशित करवाए ताकि प्रश्नगत भूमि, जो कतई फर्जी वसीयत के आधार पर रेस्पो0 1 ता 3 ने अपने नाम दर्ज करवाई निर्णय उसका ज्ञान अपीलान्ट को नही लग सके। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की पीठ पीछे उसे बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किए पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से इसी आधार पर काबिल अपास्त है।

5. वसीयत दिनांक 06.07.2015 प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्व है क्योंकि इस वसीयत पर रेस्पो0 1 ता 3 के हस्ताक्षर है तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार यदि लाभार्थी के हस्ताक्षर वसीयत पर है तो वे उक्त वसीयत से लाभ प्राप्त नही कर सकते है। उक्त परिस्थिति में वसीयत स्वतः ही सन्देहस्पद हो जाती है। विचारण न्यायालय ने इस विधिक स्थिति पर गौर किए बिना कतई विधि विरूद्व आदेश प्रसारित किया है, वह निरस्ती योग्य है।

6. प्रश्नगत वसीयत जिसे नोटेरी रजिस्टर में क्रमांक 1156 दिनांक 06.07.2015 को दर्ज करना दर्शित किया गया है। इस वसीयत में यह अकिंत किया गया है कि यह प्रथम तथा अन्तिम वसीयत है जबकि इसके बाद में भी इसी रजिस्टर में क्रमांक 1157 दिनांक 06.07.2015 को एक अन्य वसीयत भी स्व0 श्री राजाराम गोदारा द्वारा निष्पादित की जानी दर्शित है। जिसमें रजिस्टर क्रमांक से स्पष्ट होता है कि वह बाद की वसीयत है। उसमें भी यही अकि[illegible] कि यह प्रथम तथा अन्तिम वसीयत है। जिससे स्पष्ट [illegible] संदिग्ध एवं फर्जी है। दोनों दस्तावेज 06.07.201[illegible] के निष्पादन बाबत कोई जिक्र नही किया गया है। उक्त परिस्थिति में प्रश्नगत [illegible]सीयत अन्तिम वसीयत नहीं होने से इस के आधार पर अपीलाधीन निर्णय कतई विधि विरूद्व प्रसारित किया जाना सिद्ध होता है। चूंकि जो तथाकथित वसीयत दस्तावेज रजिस्टर में 1157 क्रमांक पर दर्ज हुआ है। वह बाद की होने से उसमें इस प्रश्नगत वसीयत का जिक्र ही नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 15:58:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला ... नोहर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

है। इसलिए प्रश्नगत वसीयत पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अतः अपीलाधीन निर्णय निरस्ती योग्य है।

7. विचारण न्यायालय द्वारा नामान्तरण दर्ज करने का आदेश दिए जाने से पूर्व विस्तृत जांच नही की ना ही अपीलान्ट के वास्तविक निवास पर नोटिस तामील सम्बन्धित कोई जांच की बल्कि वसीयत नोटेरी से प्रमाणित होने एवं कोई ऐतराज प्रस्तुत नही होने के कारण वसीयत को निर्विवादित होने सम्बन्धित अवधारणा गलत पारित कर अपीलाधीन निर्णय प्रसारित करने में विधिक भूल की है।

8. प्रश्नगत वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर भी सन्देहास्पद है। स्व0 श्री राजाराम पूर्ण हस्ताक्षर करते थे जबकि तथाकथित वसीयत दस्तावेज पर स्व0 श्री राजाराम गोदारा के हस्ताक्षर मात्र राजाराम अकिंत है। राजाराम गोदारा सन् 2015 में गम्भीर रूप से बीमार थे तथा बार बार कौमा में चले जाते थे। जिला सिरसा हरियाणा व जयपुर में भी उनका लम्बे समय तक ईलाज चला है। इस कारण तथाकथित वसीयत निष्पादन के समय उन्हें पूर्णतः होश हवास में नही थे। विचारण न्यायालय द्वारा स्व0 श्री राजाराम गोदारा के फौत होने पर किसी प्रकार के दस्तावेज निष्पादन सम्बन्धित पूर्ण जाचं किए बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो काबिल अपास्त है।

9. अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट को ना तो पक्षकार बनाया ना ही उसे विधिक प्रावधानुसार प्रकरण से सम्बन्धित कोई नोटिस ही जारी किए बल्कि कतई पेशिदा तौर से रेस्पो0 1 ता 3 को अपीलान्ट के जयपुर निवास करने सम्बन्धित पूर्ण जानकारी रही होने के पश्चात भी तथा कथित वसीयत का राजस्थान पत्रिका श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ संस्करण में नोटिस शाया करवाकर अपीलाधीन निर्णय कतई छिपे तौर से हासिल किया, जो कतई अवैध एवं शुन्य है। अपीलान्ट को उनके जयपुर स्थिति प्लॉट के सम्बन्ध में रेस्पो0 सं0 1 ता 3 के मध्य विवाद होने पर उस प्लॉट बाबत् वसीयत का ज्ञान होते ही अपीलान्ट ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर के यहां वाद बाबत् विभाजन सम्पति एवं स्थाई व्यादेश एवं घोषणा का माह अप्रैल 2023 में [illegible] किया। जिसमें जयपुर स्थित प्लॉट के सम्बन्ध में ही फर्जी वसीयत का [illegible] जयपुर वाद प्रस्तुत करने के पश्चात जब अपीलान्ट जो की एक औरत जात [illegible] भादरा स्थित कृषि भूमि के अभिलेख का भी तहसील कार्यालय से पता कि[illegible] तो वहां स्थित सिगेदार द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रश्नगत भूमि का नामान्तरण रेस्पो0 सं0 1 ता 3 के नाम दर्ज होने के कथन दिनांक 02.06.2023 को करने पर अपीलान्ट द्वारा समस्त पत्रावली की नकले एवं नामान्तरण नकल प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान दिनांक 02.06.2023 को होने के पश्चात आज अपील ईल्म से भीतर मियाद प्रस्तुत की जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:58:10 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

रही है अपीलाधीन निर्णय कतई एक पक्षीय है एवं अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाए पारित किया होने से कतई अवैध एवं शुन्य है। अपील गुणावगुण पर बल रखती है। इसलिए न्यायहित में अपील प्रस्तुती मे हुई देरी कन्डोन योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.03.2017 एवं उसकी पालना में दर्ज इन्तकाल निरस्त किया जाकर निर्णय दिनांक 30.03.2017 से पूर्व की राजस्व अभिलेख की स्थिति बहाल किए जाने का आदेश प्रदान करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को अपीलान्ट के साक्ष्य सुनवाई जवाब हेतू अवसर प्रदान कर पुनः निर्णित करने हेतू प्रति प्रेषित किया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भादरा से अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री मांगेराम गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुए। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करनें पर पाया कि श्रीमती इंदिरा बैनिवाल(अपीलांट) को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया। वसीयत के आधार पर निर्णय पारित कर नामान्तरण दर्ज करनें के संबध में आपति हेतु सूचना अखबार में प्रकाशन हनुमानगढ़ गंगानगर संस्करण में करवाई लेकिन अपीलांट जयपुर में निवास करती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करनें में भूल कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर तहसीलदार भादरा का निर्णय दिनांक 30.03.2017 को अपास्त किया जाता है एंव पत्रावली तहसीलदार भादरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है कि वारिसान की पूर्ण जानकारी ली जावे एंव सभी वारिसान को साक्ष्य प्रस्तुत करनें एंव सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर प्रकरण को निस्तारित करें। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 6.3.2024 को सरेइजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03
Reason: SelfAttested

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर हनुमानगढ़